

06/04/2021

उपखण्ड उदयपुरवाटी (बुन्देल)

पत्राचार के अंतर्गत वसुधा उपा पत्राचार विभाग उदयपुरवाटी के
01R108 151 CPC का स्वीकार किया जाता है तथा पत्राचार विभाग के
अपनी सार्वजनिक कार्यों के लिए उक्त उक्त नाल स्याही
से किया जाय।

न्यायालय के सजा में उक्त है कि उक्त विभागीय कार्यों के लिए,
पत्राचार 136 LRA में वर्णित कृति से आवश्यक एक उक्त वाद

सु. नं. 173/2017 अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय
में विभागीय है। उक्त उक्त प्रकार में वादी/पत्राचार, - वादी/पत्राचार

अनुसंधान एवं प्रकार एक सामान्य है। कारण एक ही विभागीय
कार्यों के, एक सामान्य प्रकार में, जब वादी/पत्राचार अनुसंधान की

प्रकार में वादी/पत्राचार से संबंधित प्रकार न्यायालय में विभागीय
गई है समझ। उक्त प्रकार का के माध्यम से पत्राचार एक

वादी/पत्राचार अनुसंधान द्वारा न्यायालय के सु. नं. 173/2017 के
माध्यम से की जाय कर सकते हैं। उक्त पत्राचार एक प्रकार

पत्राचार 136 L.R.A. न्यायालय का यह सामान्य है पत्राचार कि
उक्त विभागीय कार्यों से आवश्यक एक उक्त वाद द्वारा न्यायालय

में विभागीय कार्यों में, आधारित होने से वादी/पत्राचार
पत्राचार के लिए उक्त प्रकार में वादी/पत्राचार वादी/पत्राचार

29

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (बुन्देल)

